:: न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0,ग्वालियर ::

समक्ष

डॉ0 एम0के0अग्रवाल

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरारनी/113–एक/2009–आदेश दिनांक 20.01.2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर–प्रकरण क्रमांक 193/2007–08/अपील।

निशान्त अवयस्क तनय देवेन्द्रसिंह,संरक्षक
पिता देवेन्द्रसिंह पुत्र गहन्दसिंह,निवासी ग्राम
भगुवापुरा,तहसील सेंवढा,जिला दतिया म0प्र0। ———निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. रामखिलौना तनय राजाराम किरार,निवासी ग्राम भगुवापुरा,तहसील सेंवढा जिला दतिया म0प्र0।
2. बहादुरसिंह अवयस्क तनय मनीराम,संरक्षक मनीराम पुत्र श्री भागीरथ बघेल।
3. सुभाष
4. राहुल
5. अंशुल
   अवयस्क पुत्रगण रामकुमार,संरक्षक रामकुमार पुत्र श्री नारायनदास वैश्य।
6. विजयसिंह पुत्र भागीरथ बघेल।
   समस्त निवासीगण ग्राम एवं पोस्ट भगुवापुरा तहसील,सेंवढा जिला दतिया।
7. भरतशरण
8. कमलेश कुमार पुत्रगण रामचरन जोशी।
9. संजयकुमार अवयस्क पुत्र भरतशरण जोशी संरक्षक पिता स्वयं।
10. पवनकुमार अवयस्क पुत्र कमलेश जोशी,संरक्षक पिता स्वयं,निवासीगण ग्राम भैसाई तहसील सेंवढा जिला दतिया,म0प्र0। ———गैरनिगरानीकर्तागण

1. श्री राम सेवक शर्मा, अभिभाषक————————————निगरानीकर्ता के लिये।
2. श्री मुकेश वेलापुरकर,अभिभाषक————————————गैरनिगरानीकर्ता–1 के लिये।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 18-5-18 को पारित)

यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 193/ 2007–08/ अपील में पारित आदेश दिनांक 20.01.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम भगुवापुरा तहसील सेंवढा में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 153 रकवा 0.34 है0 भूमि स्थित है, जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी निगरानीकर्ता तथा गैरनिगरानीकर्तागण हैं। निगरानीकर्ता के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का वटवारा किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 178 के अंतर्गत विचारण न्यायालय में पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/अ–27/2004–05 पर पंजीवद्ध करते हुये आदेश दिनांक 22.03.2005 से वटवारा आदेश पारित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित वटवारा आदेश दिनांक 22.03.2005 से परिवेदित होकर गैरनिगरानीकर्ता–1 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,सेंवढा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। अपील मेमो के साथ अपील पेश करने में हुये विलंव को माफ किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 05 के अंतर्गत आवेदन पत्र मय शपथ–पत्र के पेश किया गया। अनुविभागीय अधिकारी,सेंवढा द्वारा प्रकरण क्रमांक 52/2005–06/अपील माल पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 17.01.2008 से प्रस्तुत अपील अवधिवाह्य मानकर निरस्त की गयी। अनुविभागीय अधिकारी,सेंवढा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.01.2008 से व्यथित होकर गैरनिगरानीकर्ता–1 के द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 193/2007–08/अपील माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 20.01.2009 से स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी,सेंवढा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.01.2008 निरस्त किया जाकर प्रस्तुत अपील समयावधि में मान्य की जाकर गुण–दोष के आधार पर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी,सेंवढा को प्रत्यावर्तित की गयी। अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2009 से दुखी होकर निगरानीकर्ता के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आहूत किया जाकर उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये।

4. निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क प्रायः उन्ही विन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किये गये है, जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। इसके अलावा मौखिक रूप से यह तर्क पेश किये गये कि विचारण न्यायालय के समक्ष गैरनिगरानीकर्ता–1 उपस्थित हुये और बाद में अनुपस्थित रहे हैं। विचारण न्यायालय द्वारा गैरनिगरानीकर्ता–1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आदेशित करने के बाद ही पटवारी मौजा से फर्द वटवारा तलव किया जाकर विधिवत प्रकाशन कराकर आदेश पारित किया गया था जिसकी जानकारी गैरनिगरानीकर्ता–1 को यथासमय से ही थी फिर भी गलत तथ्यों के आधार पर अवधि विधान की धारा 05 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे विचारोपरांत अनुविभागीय अधिकारी,सेंवढा द्वारा निरस्त किया जाकर अपील अवधिवाह्य होने से निरस्त कर दी गयी थी। अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा मर्यादा अधिनियम को समझने में भूल की जाकर अवैध आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत न होने के कारण निरस्त किया जावे और प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5. गैरनिगरानीकर्ता–1 के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को में मुख्य रूप से यह तर्क पेश किये गये कि गैरनिगरानीकर्ता–1 के द्वारा अवधि विधान की धार 05 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में स्पष्ट कारण बताये गये थे कि उन्हें वटवारा आदेश की जानकारी पटवारी मौजा से खसरा खतौनी की नकलें लेने के समय हुई। अनुविभागीय अधिकारी सेंवढा द्वारा गलत अर्थ निकाल कर अवधि विधान की धारा 05 का आवेदन पत्र निरस्त करते हुये अपील निरस्त कर दी गयी। इस संबंध में अनेक वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अवधि के बिन्दु के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार करते समय उदार रूख अपनाया जाना चाहिये किन्तु बिना विचार किये ही आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण में पूर्ण विवेचना करने के बाद ही अनुविभागीय अधिकारी सेंवढा द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर अपील अवधि के अंदर मान्य की गयी और प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी,सेंवढा को प्रत्यावर्तित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष निगरानीकर्ता को अपना पक्ष समर्थन करने का पूरा पूरा अवसर प्राप्त है। इस प्रकार अपर

आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

6. मैनें प्रकरण में उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि निगरानीकर्ता के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 153 रकवा 0.34 है0 ग्राम भगुवापुरा तहसील सेंवढा का विभाजन कराये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/अ–27/2004–05 पर पंजीवद्ध करते हुये वटवारा कार्यवाही प्रारंभ की गई। विचारण न्यायालय के द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 12.09.2003 में अनावेदकगणों को सूचना पत्र जारी किये जाने का उल्लेख किया गया। प्रकरण में दिनांक 03.10.2003 को जारी सूचना पत्र के अवलोकन से यह प्रकट है कि गैरनिगरानीकर्ता–1 को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया और न ऐसा कोई सूचना पत्र प्रकरण पत्रिका में संलग्न है। इसके बाद विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2004 को गैरनिगरानीकर्ता–1 को नोटिस जारी किया गया जिस पर राजाराम के नाम का निशानी अंगूठा लगा हुआ है। इसी आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा गैरनिगरानीकर्ता–1 के विरूद्ध दिनांक 28.06.2004 को एकपक्षीय कार्यवाही आदेशित की गयी।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 28.06.2004 को पटवारी मौजा को फर्द वटवारा प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। पटवारी मौजा द्वारा प्रस्तुत फर्द वटवारा का प्रकाशन दिनांक 04.02.2005 को कराया गया। फर्द वटवारा के अवलोकन से यह प्रकट है कि फर्द वटवारा का प्रकाशन तहसील बोर्ड एवं ग्राम चौपाल पर कब चस्पा किया गया, इसका कोई उल्लेख नहीं है। स्पष्ट है कि फर्द वटवारा का भी प्रकाशन विहित प्रक्रिया के अनुसार नहीं हुआ है, जिसके कारण वटवारा आदेश की जानकारी गैरनिगरानीकर्ता–1 को नहीं हो सकी। जब वटवारा आदेश की जानकारी गैरनिगरानीकर्ता–1 को हुई, उसके द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी,सेंवढा के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी तथा विलम्ब को माफ किये जाने बावत अवधि विधान की धारा 05 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के पेश किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी,सेंवढा द्वारा इन सब विन्दुओं पर बिना विचार किये प्रस्तुत अपील अवधिवाह्य मानी और निरस्त कर दी गयी। 1987 रे0नि0 293 ननाबाई विरूद्ध खोरबाहरा में राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि सूचना की तामील सम्यक रूप से न हुई हो तब उसमें

पारित आदेश के विरूद्ध अपील में परिसीमा की संगणना आदेश की जानकारी के दिन से होगी। स्पष्ट है कि गैरनिगरानीकर्ता–1 को सम्यक रूप से तामील नहीं हुई थी। अनुविभागीय अधिकारी को इस विन्दु पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये था। इसी प्रकार 1987 रे0नि0 125 फून्दीलाल विरूद्ध रूपसाय में राजस्व मण्डल द्वारा यह माना है कि यदि पक्षकार को सूचना दिये बिना आदेश पारित किया गया हो, तब भी ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील समय वर्जित नहीं होगी। इन न्यायिक सिद्धांतों के परिपेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी, सेंवढा द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा उसे निरस्त किया जाकर प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मान्य करते हुये प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किये जाने के लिये अनुविभागीय अधिकारी,सेंवढा को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। प्रकरण में अभी अनुविभागीय अधिकारी,सेंवढा को अंतिम आदेश पारित करना है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता के पास अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2009 विधिसम्मत आदेश है,यथावत रखा जाता हैं और प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे तथा प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(डॉ0 एम0 के0 अग्रवाल)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0,ग्वालियर